

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(48)ग्राविवि/ग्रुप-5/जीकेएन/टीएस/2013-14

जयपुर, दिनांक 13 जून, 2013

—:: परिपत्र ::—


ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के अनुच्छेद संख्या 7.3.3 तकनीकी स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों की सूची के क.सं.-5 में उल्लेखित अधीक्षण अभियंता(ग्रावि) को वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति की सीमा रूपये 50.00 लाख तक है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रूपये 50.00 लाख की अधिकतम तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की सीमा को विलोपित करते हुए विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में विभाग स्तर से जारी की जाने वाली अधीक्षण अभियंता(ग्रावि) एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्तर की समस्त तकनीकी स्वीकृतियों हेतु अधीक्षण अभियंता(ग्रावि) को एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।

(५२)

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मानो मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा० राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा० मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
12. अधीक्षण अभियंता(ईजीएस), ग्रामीण विकास विभाग/अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग/निदेशक, सीसीडीयू, पंचायती राज विभाग।


अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

कृ.प.ऊ.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को अनुपालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग राज, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त-1/ा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
5. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता(मुख्यालय), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को प्रति समस्त संबंधित (कम सं. 14 व 15) को अपने स्तर से उपलब्ध कराने के कम में।
11. समस्त परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
12. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
13. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, राजस्थान।
14. विकास अधिकारी, पं.समिति समस्त, राजस्थान।
15. सरपंच, ग्राम पंचायत समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।



अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामी)